न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–69/2008
CIS No.-TS 183/2018

लतीफ मियां.....वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–07 की ओर से एक आवेदन दिनांक 07.03.2026 अन्तर्गत भारतीय परिसीमन अधिनियम की धारा–5 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण दिनांक 05.01.2010 को हाजिर हुए और जवाब हेतु समयावेदन दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण हाजिर होने के बाद कागजात की खोजबीन में जुट गए, किन्तु वाद से संबंधित कागजात सहजतापूर्वक प्राप्त नहीं हो सका तथा प्रतिवादीगण अपना जबाव दिनांक 05.04.2010 को दाखिल किया, जो अभिलेख पर मौजूद है। वादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 10.11.2025 में आपत्ति की गई कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी दिनांक 05.04.2010 एक दिन विलंब से है तथा इसके पूर्व प्रतिवादीगण के ब्यान तहरीरी पर कोई आपत्ति वादी द्वारा नहीं की गई एवं वाद अग्रिम कार्रवाई हेतु चलता रहा। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी एक दिन विलंब से दाखिल किया गया है, इसकी जानकारी पहले पहल दिनांक 10.11.2025 को हुई। लेहाजा प्रतिवादीगण द्वारा ब्यान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलंब को न्याय हित में माफ करना आवश्यक है, जिससे प्रतिवादीगण इस वाद में संघर्ष कर सके। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलम्ब को माफ करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा की जाए। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–07 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।	

<u>न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–69/2008</u>
<u>CIS No.-TS 183/2018</u>

लतीफ मियां.....वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 07.03.2026	प्रतिवादी सं0–07 निवेदन करते है कि आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने की वजह से ब्यान तहरीरी दाखिल करने में एक दिन का विलम्ब हुआ है, लेहाजा प्रतिवादी सं0–07 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को विलम्ब माफ करते हुए ग्रहण किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। चूंकि प्रतिवादी सं0–07 इस वाद में संघर्ष करना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–07 का आवेदन न्यायसंगत है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में प्रतिवादी सं0–07 का आवेदन दिनांक 07.03.2026 को मो0–1000 रूपया हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 08.04.2026 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	